International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709
Received: 15-05-2026, Accepted: 15-06-2026, Published: 30-06-2026
Volume 8, Issue 2, 2026, Page No. 115-121

भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की मजबूत स्थिति: आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक बदलाव

आरती कुमारी[1], उमेश कुमार[2]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार, भारत
[2] प्रोफ़ेसर, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijsrd.2026.8.2.8057

सारांश
साधारण शब्दों में, राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ है राष्ट्रीय सरक्षा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए सभ्यता के प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में प्रयास किये जाते रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हो रही क्रान्ति के कारण विश्व के लोग आज एक–दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे बदलाव में विशेषतया परमाणु बम के निर्माण ने इस तथ्य पर बल दिया कि मानव समुवाय अस्तित्व रक्षा के लिए कौन सी युक्ति अपनाये और किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़े जो उसका भविष्य सुरक्षित कर सके। ऐसी स्थिति में रक्षा योजना की भावना ने जोर पकड़ा और राष्ट्रीय सुरक्षा देश की तत्कालिक आवश्यकताओं के साथ ही नहीं बल्कि दूरगामी प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ी जाने लगी। विश्व भर में हुए युद्धों से नये अनुभवों का विकास हुआ और इस प्रकार सुरक्षा के मामलों में रुचि रखने वालों का दायरा बढ़ गया। रक्षा सम्बन्धी योजनाओं और रणनीतिक मामलों में राजमर्मज्ञों और सेनानायकों की भूमिका दिन प्रति दिन बदलने लगी। यह माना जाने लगा कि सुरक्षा का प्रश्न व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय तो है ही किन्तु इसे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास और उसके राष्ट्रीय हितों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा ही उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिष्ठा और शक्ति का मापदण्ड उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा ही होती है। राष्ट्र का साम्प्रदायिक सदभाव, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक विकास एवं प्रबन्धन के साथ इंटेलीजेंस, कूटनीति, राष्ट्रीय नेतृत्व एवं तीनों सेनायें मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला तैयार करती है।

मूल शब्दः ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा चुनौतियाँ, स्वदेशी रक्षा उत्पादन

मानवता के स्वर्णिम भविष्य का सार राष्ट्रीय सुरक्षा में छिपा है। सुरक्षा और युद्ध विज्ञान का एक सार्वभौमिक सिद्धान्त है–किसी पर भी मरोसा मत करो, अपनी ताकत बढ़ाओ। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी की मुस्कान के लिए शांति और सुरक्षा आवश्यक है। शान्ति का असली सार न्याय है जो इसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है। शान्ति और समृद्धि एक–दूसरे से जुड़ी होती है। हमारा लक्ष्य इन दोनों को प्राप्त करना होना चाहिए, क्योंकि विनाशकारी हथियारों से विश्व को बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून के शब्दों में, "वास्तविक सुरक्षा लोक कल्याण, अर्थव्यवस्था के विकास और मानवता के प्रति सम्मान पर आधारित होती है। दूसरी ओर चुनौतियों से निपटने के लिए देश की रक्षा एक सतत् प्रयास है। अन्ततः किसी आक्रमण के विरुद्ध बचाव ही प्रतिरक्षा है।

यह इतिहास की एक त्रासदी है कि जिनके हाथों में हम कलम नहीं पकड़ा सकते, जिनके मुँह में रोटी का निवाला नहीं दे सकते, उनके हाथों में हम बन्दूक पकड़ा रहे हैं। जिसका हमें कोई अधिकार नहीं है। सुरक्षा के लिए सबका विकास आवश्यक है और जब विकास पिछड़ता है तब तमाम समस्यायें जन्म लेती है जो राष्ट्रीय अखण्डता को भेदती है।

सुरक्षा का आशय गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं विकास के मार्ग में आने वाले किसी भी सम्भावित खतरे के अभाव में है। आज सुरक्षा की अवधारणा गैर सैन्य कारणों से अधिक प्रभावित हो रही है। कानून के समक्ष समानता और सबके लिए कानून की समान सुरक्षा वर्तमान विश्व की अनिवार्य मांग है। अवधारणा यह है कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं। सामाजिक समानता और सुरक्षा के लिए कानून के समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान पहुँच जैसी स्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

राज्य प्रणाली की स्थापना एक निरन्तर, कठोर और दीर्घ संघर्ष के बाद सम्भव हो पायी है। समय–समय पर आपसी विवाद, तनाव तथा युद्ध इसमें बाधक बनते रहे है। फिर भी राष्ट्र राज्य पद्धति का राष्ट्रों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाने के कारण एक ऐसी भावना का उदय हुआ जिसमें राज्य की सुरक्षा राष्ट्रवादियों का प्रमुख कर्तव्य बन गया।

सुरक्षा चुनौतियाँः भारतीय सन्दर्भ

एक अवधारणा के अनुसार किसी राष्ट्र के निर्माण में वे चार तत्व अनिवार्यतः शानिल होते हैं– भूमि जनसंख्या, सम्प्रभुता और सरकार। राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने अर्थात् देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना भी राष्ट्र का एक अनिवार्य अंग है। भारत की सेना देश का गौरव और हमारा विश्वास है। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और बलिदान से विश्व में ख्याति अर्जित की है।

भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ निरन्तर उपस्थित रही हैं। ये चुनौतियों विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। शत्रु का खतरा न केवल देश की सीमाओं पर विद्यमान रहता है, अपितु देश के सुरक्षा–चक्र को भेवकर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वह देश के आन्तरिक भागों में भी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है। तीसरी तरफ यह देश की एकता के ताने–बाने पर भी प्रहार करने का प्रयास करता रहता है। इन विभिन्न तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में विभिन्न स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है।

भारत पश्चिम में पाकिस्तान से, तो उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। ये देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं। इन देशों के साथ भारत का सीना–विवाद भी है। पाकिस्तान आंतकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर भारत से परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है। भारत की उत्तरी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। उत्तरी–पूर्वी सीमा पर चीन आए दिन सीमा का उल्लंघन करता

रहता है। सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है। देश में कुछ क्षेत्र अलगाववादी और नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त है।

विगत वर्षों में सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर काफी ध्यान दिया है। उदाहरणस्वरूप, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात् सरकार का ध्यान काफी बढ़ा, एनआईए का गठन किया गया जो आतंकवाद की जाँच के लिए भारत सरकार की अग्रणी संघीय एजेंसी के रूप में उभरी है। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन जम्मू–कश्मीर में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा इससे यहाँ युवाओं हेतु अवसर पैदा हुए जिनके आतंकवाद की घटनाएँ न्यूनतमम हो गई हैं। विद्रोहियों से लड़ने, विकास पर ध्यान केंद्रित करने, विद्रोही समूहों के साथ समझौते तक पहुंचने और कुशल कूटनीति के उद्देश्य से विवेकपूर्ण नीतियों के संयोजन से, सरकार पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रण में लाने और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने में सक्षम रही है। पूर्वोत्तर बहुआयामी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उग्रवाद से निपटने के लिए एक सुविचारित रणनीति, बेहतर समन्वय, विकास पर ध्यान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं के निर्माण से वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

समुद्री सुरक्षा और विशेष रूप से तटीय सुरक्षा पर हाल के वर्षों में बहुत ध्यान दिया गया है। मछुआरों और उनकी आजीविका में सुधार, तटीय पुलिस को मजबूत करने, अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने, भारतीय तट रक्षक की क्षमताओं में सुधार करने और तटीय निगरानी को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंक का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए एक आईटी मंच के रूप में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) बनाया गया। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सुरक्षा हेतु NATGRID, रेलवे, पुलिस, चोरी के वाहन, आव्रजन, एयरलाइन, पासपोर्ट, वाहन स्वामित्व, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन डेटा और वगैरह सहित कई डेटाबेस को लिंक करेगा।

वहीं, बाह्य सुरक्षा वातावरण परिवर्तनशील होते हैं, इससे भी भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। बाहरी कारक आमतौर पर भारत के नियंत्रण में नहीं होते। हमें बेहतर खुफिया जानकारी, बेहतर क्षमताओ और केंद्रित अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उनसे निपटना होगा। कुछ उदाहरण हैं:

- सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ
- अवैध प्रवासन और शरणार्थी (जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, ग्यांमार आदि)
- ड्रग्स और हथियारों की तस्करी (अफगानिस्तान)
- साइबर स्पेस (डार्क नेट)
- खुले समुद्र में अवैध गतिविधियाँ– प्रसार, मछली पकड़ना,
- पड़ोस में अस्थिरता (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि)।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा– विशेषतः वर्ष 2014 से अबतक

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन आया है। पैमाने और महत्वाकांक्षा की सीमित सीमा से कही बढ़ कर यह अब एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर ईको सिस्टम में बदल गया है। यह बदलाव दृढ राजनीतिक संकल्प और रणनीतिक सोच से आया है। रणनीतिक नीतियों ने उत्पादन और खरीद से लेकर निर्यात और नवाचार तक प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है।

रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है। रक्षा बजट 2013–14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025–26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह तीव्र वृद्धि भारत की अपनी सैन्य नींव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन आंकड़ो के पीछे एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण करने का व्यापक दृष्टिकोण छिपा है। निजी उद्योग अब पूरी तरह से शामिल है। नवाचार मुख्य रूप से शामिल हो गया है। स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म, नए जमाने की तकनीक और रक्षा गलियारों के विकास दिखाता है कि सरकार दीर्घकालिक तैयारियों को लेकर कितनी गंभीर है। परिणाम चौंकाने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, निर्यात में उछाल, लक्षित निवेश और ऐतिहासिक रक्षा अनुबंध, ये सभी एक बढ़ते रक्षा ईको सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। भारत अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है साथ ही यह एक नया भविष्य गढ़ रहा है जहां ताकल और आत्मनिर्भरता एक साथ चलते हैं।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत के रक्षा विनिर्माण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। 2023–24 में, हमारा अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन दर्ज किया गया जो 1.27 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गया। यह 2014–15 के 46,429 करोड़ रुपए की तुलना में 174 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि है।

2024–25 में रिकॉर्ड रक्षा अनुबंध

किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय ने 2024–25 में 2,09,050 करोड़ रुपए मूल्य के 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए है। इनमें से 177 अनुबंध घरेलू उद्योग के साथ किए गए, जिनकी कीमत 1,68,922 करोड़ रुपए थी।

भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने और देश के भीतर रक्षा ईको सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में यह एक स्पष्ट बदलाव है। स्वदेशी खरीद पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति को भी बढ़ावा मिला है।

रक्षा औद्योगिक गलियारे

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं। इन गलियारों ने 8,658 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। फरवरी 2025 तक 53,439 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश क्षमता वाले 253 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्यों में 11 ईकायों में फैले ये केंद्र भारत को रक्षा विनिर्माण महाशक्ति बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां

सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण की पांच सूचियां जारी की हैं जो आयात को सीमित करती हैं और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। इन सूचियों के अंतर्गत 5,500 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं और अब इनमें फ़रवरी 2025 तक 3,000 का स्वदेशीकरण कर दिया गया है। प्रमुख स्वदेशी प्रौद्योगिकियों में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफले, कोरवेट, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच), रडार, पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, रॉकेट, बम, बख्तरबंद कमांड पोस्ट वाहन और बख्तरबंद डोजर शामिल हैं। इस संरचित प्रयास से अब देश के भीतर ही महत्वपूर्ण क्षमताओं का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार

अप्रैल 2018 में शुरू किए गए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए ईको सिस्टम को बढ़ावा दिया है। एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलैंस ने अत्याधुनिक तकनीकों के विकास का समर्थन करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया है। अपने प्रभाव को मजबूत करते

हुए, सशस्त्र बलों ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस समर्थित स्टार्टअप और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 43 वस्तुएं खरीदी है। यह रक्षा तैयारियों के लिए स्वदेशी नवाचार में बढ़ले भरोसे को दर्शाता है।

रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने के लिए, 2025–26 के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को 449.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें इसकी उप–योजना इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना (एडीआईटीआई) शामिल है। फरवरी 2025 तक, 549 समस्या विवरण के मामले देखे जा रहे हैं, जिनमें 619 स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल हैं, और 430 इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अन्य प्रमुख पहल

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी पहले की है। ये उपाय निवेश आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने से लेकर स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देने तक, ये पहल भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। निम्नलिखित बिंदु उन प्रमुख सरकारी पहलों को रेखांकित करते हैं जो रक्षा क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही हैं:

- उदारीकृत एफडीआई नीति
- टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स
- मंथन
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस)
- घरेलू खरीद को प्राथमिकता
- घरेलू खरीद आवंटन

रक्षा निर्यात में वृद्धि

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में असाधारण वृद्धि देखी गई है। 2013–14 में जो निर्यात सिर्फ 686 करोड़ रुपए था, वह 2024–25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। यह 34 गुना वृद्धि है और सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग के निर्माण पर जोर देने को दर्शाती है।

यह बदलाव संयोग से नहीं हुआ है। यह स्पष्ट दृष्टि, मजबूत नीतिगत सुधारों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाने से लेकर उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देने तक, सरकार ने वैश्विक पहुंच के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

अकेले 2024–25 में 1,700 से ज़्यादा निर्यात प्राधिकृत किए गए। भारत अब दुनिया भर के देशों को रक्षा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करता है। इनमें बुलेटप्रूफ जैकेट, गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर, रडार और यहां तक कि टॉरपीडो जैसी उन्नत प्रणालियां भी शामिल हैं। प्रमुख खरीदारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शामिल हैं। उनकी दिलचस्पी भारतीय रक्षा उत्पादों में बढ़ते भरोसे और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की साख को दिखाती है।

आगे का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन हासिल किया जा सकता है। 2029 तक निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये को पार करने की योजना के साथ, भारत रक्षा उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं रह गया है बल्कि यह तेजी से सैन्य शक्ति का निर्माता और निर्यातक बन रहा है।

प्रमुख रक्षा अधिग्रहण और अनुमोदन

पिछले एक साल में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाया है और कई बड़े अधिग्रहण और स्वीकृतियां दी हैं, जो आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। इन फैसलों से न केवल सैन्य क्षमताएं मजबूत हुई हैं, बल्कि घरेलू रक्षा ईको सिस्टम भी मजबूत हुआ है।

- **ब्रहमोस मिसाइल सिस्टमः** मार्च 2024 में, सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रहमोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 19,518.65 करोड़ रुपए मूल्य का एक महत्वपूर्ण अनुबंध किया। ये मिसाइलै भारतीय नौसेना की परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

- **एमक्यू–9बी ड्रोनः** भारत ने 31 एमक्यू–9बी ड्रोन के अधिग्रहण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप दिया। ये लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन सशस्त्र बलों में निगरानी और सटीक क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

- **प्रचंड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच):** 28 मार्च, 2025 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 प्रचंड एलसीएच हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी कीमत 62,700 करोड़ रुपए (करों को छोड़कर) है।

- **उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए):** मई 2025 में, भारत के रक्षा क्षेत्र ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) कार्यक्रम निष्पादन मॉडल की स्वीकृति के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक पहल है।

- **फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (एफआरए):** रक्षा मंत्रालय ने एक कैसी–135 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ वेट लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है जब भारतीय वायु सेना ने वेट–लीज्ड एफआरए का विकल्प चुना है, जिसका उपयोग वायु सेना और नौसेना दोनों के पायलटों के एयर–टू–एयर रिफ्यूलिंग प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

- **एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस):** सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 307 एटीएजीएस के साथ–साथ 327 हाई मोबिलिटी 6•6 गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है. जिसकी अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपए है। ये तोपें 15 आर्टिलरी रेजिमेंट को लैस करेंगी।

रक्षा में नारी शक्ति

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत के रक्षा बलों में महिलाओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। 2014 में, सभी सेवाओं में लगभग 3,000 महिला अधिकारी थीं। आज, यह संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है, जो नीति और मानसिकता में स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है। वर्तमान सरकार ने वर्दी में महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। 507 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक करियर बनाने और नेतृत्व की भूमिका निभाने की अनुमति मिली है। इस कदम ने सभी रैंक और शाखाओं में महिलाओं के लिए अवसरों को नया रूप दिया है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने महिला कैडेटों को शामिल करके ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, जिसकी शुरुआत अगस्त

2022 में 148वें एनडीए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में 17 के पहले बैच से हुई थी। तब से, 153वें पाठ्यक्रम तक चार बैचों में 126 महिला कैडेट शामिल हो चुकी हैं। 30 मई, 2025 को एक ऐतिहासिक दिन माना गया जब ये 17 महिला कैडेट 148वें पाठ्यक्रम स्प्रिंग टर्म 2025 से स्नातक होने वाले 336 कैडेटो में शामिल हुई। युद्ध समर्थन से लेकर लड़ाकू जेट विमानों को उड़ाने तक यह बदलाव रक्षा क्षेत्रों में महिलाओं के व्यापक एकीकरण को दर्शाता है। यह इस विश्वास को रेखांकित करता है कि शक्ति और सेवा लिंग भेद से परे हैं।

आतंकवाद–निरोध और आंतरिक सुरक्षा

पिछले ग्यारह वर्षों में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद–रोधी अभियानों के प्रति भारत का दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने के सरकार के अटूट संकल्प को दर्शाता है। सीमाओं के पार सटीक सैन्य हमलों से लेकर भीतरी विद्रोही नेटवर्क को रणनीतिक रूप से ध्वस्त करने तक, भारत ने अतीत की झिझक को दूर कर दिया है। अब एक स्पष्ट सिद्धांत कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है, जो त्वरित, निर्णायक और खुफिया जानकारी से परिपूर्ण है। अनुच्छेद 370 को हटाने, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और उच्च तकनीक रक्षा में नई क्षमताओं के साथ, भारत आज पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। अप्रैल 2025 में एक आतंकी हमले के लिए भारत की त्वरित और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर ने इस संकल्प को और अधिक परिभाषित किया है। ये सफलताएं राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य शक्ति और देश को पहले रखने की गहरी आस्था का परिणाम हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक

अतीत की संयमता से एक साहसिक कदम बढ़ाते हुए, भारत ने 28–29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी में 18 सैनिकों पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब दिया। इन हमलों ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ साल बाद, 14 फरवरी 2019 को, पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए। भारत ने तेज प्रतिक्रिया दी। 26 फरवरी 2019 को, एक खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन में, बालाकोट हवाई हमलों में वरिष्ठ कमांडरों सहित बड़ी संख्या में जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया गया। लक्षित ठिकाने नागरिक क्षेत्रों से दूर स्थित है और इनका नेतृत्व जैश प्रमुख मसूद अजहर के बहनोई मौलाना यूसुफ अजहर कर रहे थे। इन पूर्व–प्रतिरोधी कार्रवाइयों ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब आतंकवाद का सहारा लेकर किए जाने वाले छद्म युद्ध को बर्दाश्त नहीं करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर

अप्रैल 2025 में, पहलगाम में नागरिकों पर क्रूर आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों पर सटीक जवाबी हमले किए गए। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर काम करते हुए भारतीय सेना ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार किए बिना प्रमुख खतरों को बेअसर करने के लिए ड्रोन हमलों, युद्ध सामग्री और कई स्तरीय वायु रक्षा पर भरोसा किया। जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा के प्रमुख कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए, जिससे उनकी परिचालन क्षमताएं बुरी तरह से बाधित हो गईं। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे आईसी–814 अपहरण और पुलवामा विस्फोट से जुड़े आंतकी शामिल थे।

जब पाकिस्तान ने 7–8 मई को कई भारतीय शहरों और ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, तो इन्हें तुरंत ही बेअसर किया गया, इससे भारत की नेट–केंद्रित युद्ध प्रणाली और एकीकृत काउंटर यूएएस (मानव रहित हवाई प्रणाली) ग्रिड की प्रभावशीलता का पता चलता है।

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत की दृढ़ नीति और पाकिस्तान के प्रति देश के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और उन्होंने संवाद, निवारण और रक्षा के सम्बंध में स्पष्ट सीमा रेखाएं रेखांकित कीं। उनके संबोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- **आतंकवादी हमलों का कड़ा जवाबः** भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा, चाहे अपराधी कहीं से भी सक्रिय हों।

- **परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहींः** भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरेगा और आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले जारी रखेगा।

- **आतंकवादी तत्वों के बीच कोई भेद नहींः** आतंक के मास्टरमाइंड और प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा, दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

- **किसी भी वार्ता में आतंकवाद पहला मुद्दा होगाः** पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत, यदि होगी भी, तो केवल आतंकवाद या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर ही केंद्रित होगी।

- **संप्रभुता पर शून्य समझौताः** प्रधानमंत्री ने घोषणा की, "आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, तथा पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकले. । आतंकवादी खतरों के कारण सामान्य सम्बंधों में अवरोध पैदा हो गया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादरोधी उपाय

5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35–ए को हटाने की मंजूरी दी, जो दशकों पुराने असंतुलन को दूर करने वाला ऐतिहासिक कदम था। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को अन्य क्षेत्रों के बराबर दर्जा दिया गया और 890 से अधिक केंद्रीय कानून लागू किए गए। 205 राज्य कानूनों को निरस्त किया गया और 130 को भारत के संविधान के अनुरूप संशोधित किया गया।

तब से, इस क्षेत्र में विकास की गति तेज़ हो गई है। वाल्मीकि, दलित और गोरखा जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को अब पूरे अधिकार प्राप्त हैं। शिक्षा का अधिकार और बाल विवाह अधिनियम जैसे कानून अब इस क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए लागू हैं। इसका प्रभाव स्पष्ट है: 2018 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या 228 से घटकर 2024 में सिर्फ़ 28 रह गई है, जो एकीकरण और शांति के बीच एक मज़बूत सम्बंध दर्शाता है। इसके अलावा, पत्थरबाज़ी की घटनाओं में 100 प्रतिशत की गिरावट आई है, यह शांति के एक नए युग की शुरुआत है।

2024 में तीन चरणों में 63 प्रतिशत मतदान के साथ जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों का सफल आयोजन, इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थिरता को और अधिक रेखांकित करता है, तथा एकीकरण और शांति के बीच एक मजबूत संबंध प्रदर्शित करता है।

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई

वामपंथी उग्रवाद के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक सफलताएं प्रदान की है। 2010 में 126 प्रभावित जिलों से अप्रैल 2024 तक यह संख्या घटकर मात्र 38 रह गई है। सबसे अधिक

प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है, तथा हताहतों की संख्या 30 वर्षों में सबसे कम है। हिंसा की घटनाओं में 2010 में 1,936 से 2024 में 374 तक की तीव्र गिरावट आई है, जो 81 प्रतिशत की गिरावट है। इसी अवधि में मौतों में 85 प्रतिशत की कमी आई है।

2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1,090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया। मार्च 2025 में हाल ही में हुए प्रमुख अभियानों में बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, सुकमा में 16 को मार गिराया गया और कांकेर और बीजापुर में 22 को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के साथ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली, वहां 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया गया, मरने वालो में महासचिव स्तर के नेता बसवराजू भी शामिल थे। यह 30 वर्षों में इस तरह का पहला उच्च रैंकिंग वाला निष्प्रभावी अभियान था। इसके अतिरिक्त, इस अभियान में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण किया।

विशेष केन्द्रीय सहायता और लक्षित विकास के माध्यम से निरंतर समर्थन के साथ, सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

सुझाव

भारत को एक नहीं बल्कि अनेकानेक आन्तरिक हानिकारक खतरे एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से कच्छ तक सम्पूर्ण भारत सुलग रहा है। प्रादेशिकता एवं क्षेत्रीयता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषायी विभेद, राजनीतिक अस्थिरता, निर्बल शासकीय क्षमता, विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी अमीरी के बीच की बढ़ती खाई, सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, नृजातीय आबजन तथा पारिस्थितिकी असन्तुलन जैसे मुद्दों से भारत की आन्तरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय अखण्डता एक भयानक दौर से गुजर रही है।

हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान ने भी भारत को अशान्त बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सुरक्षा विशेषज्ञों के गणित के आँकड़े बताते है कि जब भी कोई देश बाह्य एवं आन्तरिक चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा है तब–तब वहाँ की स्वतन्त्रता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गयी है। कोई भी देश अपने इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपसी फूट के कारण विदेशियों ने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर शासन किया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक अंग है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का वह अंग है जिसका उद्देश्य वर्तमान एवं प्रबल विरोधी के विरुद्ध ऐसी लाभदायक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं का विस्तार और उनकी रक्षा की जा सके। जबकि रक्षा के सीमित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत किसी बाहरी आक्रमण से सैन्य साधनों का प्रयोग कर राष्ट्र को सुरक्षित करना होता है।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न आयामों के अवलोकन के आधार पर बेहतर परिदृश्य निर्माण हेतु निम्न सुझाव अनुकरणीय हैं:

- 21वीं शताब्दी में हमें अपने रक्षा क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं रक्षा शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करनी होगी। तेजी से बदल रहे सामरिक वातावरण में कोई भी सेना स्थिर नहीं रह सकती। सूचना प्रौद्योगिकी ने राज्य की सीमाओं की अवधारणा तथा जन आकाँक्षाओं में महत्वपूर्ण क्रान्ति को जन्म दिया है। सेनाओं के तीनों अंगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना बाहिए किन्तु यह कार्य दीर्घकालीन रक्षा योजना बनाने के बाद किया जाना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। रक्षा योजनाओं में देश की आर्थिक दशा को ध्यान में रखना होगा। किस मद में कितना व्यय किया जा सकता है इसका ऑकलन और निर्णय विशेषों द्वारा किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में देश की भौगोलिक रिश्थति को भी ध्यान में रखना होगा।
- देश के अधिकाँश सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्याधुनिक लड़ाकू मशीनों को आसानी से नहीं पहुँचाया जा सकता है। अतः इन्फैन्ट्री के व्यापक व लाभप्रद उपयोग के लिए संचालनात्मक सुविधा होनी चाहिए। मशीन चाहे कितनी भी अच्छी हो किन्तु उसे चलाने वाले व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हैं। उसे मशीन के संचालन के लिए अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत मशीनों का संचालन कर सके। दूसरे शब्दों में रक्षा योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी जानी चाहिए।
- यह अत्यन्त दुखद है कि हमारे देश में सेनाओं की भर्ती को दूसरे नम्बर पर रखा जाता है। यानी जब कहीं नौकरी नहीं है तब सेना में जाने की बात सोची जाती है। विकसित देशों की मिसाल देखें तो इसके ठीक विपरीत है। अमेरिका में जो कुल आबादी है, उसमें कुलीन व अभिजात्य समझी जाने वाली आबादी में से 3 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा अमेरिकी वायुसेना में खुद को शामिल करने पर गर्व महसूस करता है। चीन व अन्य विकसित देशों में गी ऐसा ही कुछ है। यह अच्छे लक्षण नहीं हैं कि देश की प्रतिरक्षा सेवाएं सुविधाओं को तरस रही है। इसी के चलते सेनाओं में शामिल होकर देश पेम की भावना घट रही है। इस स्थिति को बदलने का समुचित एवं सार्थक प्रयास अति आवश्यक है।
- हमें याद रखना होगा कि पाकिस्तान और चीन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने चुनौतियों बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता विद्यमान है। भारत को तहस–नहस करने के लिए उसके पास प्रक्षेपास्त्र भी तैयार है। परमाणु बम और प्रक्षेपास्त्र दोनों को अतिविनाशक बनाने के प्रयास अनवरत रूप से चल रहे हैं। चीन की प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ हैन कि भारत के साथ। परन्तु यह तथ्य पूर्णतः नज़रअन्दाज कर दिया जाता है कि चीन द्वारा किये जाने वाले कथित दोस्ती के दावे में कितना दम है। यह वही चीन है जिसने पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्वकाल में भारत के साथ हिन्दी चीनी भाई–भाई का नारा दिया था और दोस्ती की कसमें खाई थी। फिर क्या हुआ सबको पता है। हमें भीषण युद्ध झेलना पक्ष। प्रतिरक्षा अधिकारी इस बात को कभी नहीं भूल सकते। हमें चीन की कुटिलता को समझते हुए उसके साथ संबंध रखना होगा।
- भारत को ताकत या शक्ति बनकर उभरने नहीं देने का डर ही आज अमेरिका को सबसे ज्यादा सता रहा है। अमेरिका भी जानता है कि चीन के बढ़ते कदमों को रोका नहीं जा सकता। अतः वह सोचता है कि कम से कम एशिया में दूसरी ताकत बनकर उभर रहे भारत के कदमों को ही बाधित करो। वर्ष 1988 से चीन व भारत के साथ परस्पर दोस्ती के युग की शुरुआत हुई। यह अच्छी बात है और इसके सार्थक परिणाम हो तो और मी अच्छा होगा। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सब अपने–अपने हित साधने की मंशा से ही परस्पर दोस्ती तलाशने की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ स्थाई मित्रता का कोई महत्व नहीं है फिर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन भी तभी ज्यादा प्रभावी हो सकता है और सफल हो सकता है जब कम से कम हमारी ताकत का अहसास दूसरों को हो। हमने ताकत नहीं बढ़ाई तो दबाव बढ़ेंगे।
- भारत को अपने परमाणु विकल्प खुले रखने चाहिए। प्रतिरक्षा के अन्य संसाधन किसी भी तरह परमाणु शक्तियों का विकल्प

नहीं बन सकते। पड़ोसी मुल्क सीना तांककर कहते हैं कि वे परमाणु शक्ति बन चुके हैं। पर हम ऐसा कहने और करने दोनों ही से डरते हैं। आखिर जय हम अन्य क्षेत्रों में दूसरे देशों की तुलना करने को उतावले है तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्यों नहीं? मिसाल के तौर पर अच्छे वायुयान, अच्छी बसे, अच्छे उपभोक्ता सामान व अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अच्छे संसाधन जुटाने की तत्परता हम बिखा सकते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। दुहाई कुछ भी दी जाए लेकिन हम न तो टैक्टनोग्राफिक क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं न आर्थिक क्षेत्र में मजबूत है, न तकनीकी क्षेत्र में मजबूत है और न ही प्रतिरक्षा के मोर्च पर बहुत मजबूत है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

- आर्थिक संसाधनों की मार तो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार सेनाओं पर है ही। पर सर्वाधिक महत्व आज यह भावना रखती है जो हर किसी के मन में कूट–कूटकर भरी होनी चाहिए कि हमें यह नहीं पूछना चाहिए 'देश ने हमारे लिए क्या किया बल्कि हमें यह आत्मबोध होना चाहिए, हमने देश के लिए क्या किया'।
- यह समझने की जरूरत है कि साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इन समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो मजबूत भारत का विचार व्यस्त हो जाएगा। अतएव हमें इनको नजरंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि स्थाई समाधान की दिशा में कार्यशील रहना होगा।
- हमारे देश में इधर हाल के वर्षों में हालात काफी बिगड़े हैं। सांस्कृतिक एकता को भी अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। याद रखना होगा कि बिगड़ते हालात और साम्प्रदायिकता अपने चरम पर पहुँच कर राष्ट्र विभाजन का कारण बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक अदूरदर्शिता के मूल में स्थित संकीर्ण स्वार्थ भी सम्प्रदायवाद को इस स्थिति में पहुँचा देता है कि राष्ट्र राज्य विखंडित होने के कगार पर पहुँच जाता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष होने की संवैधानिक घोषणा को अलगाववादी तथा विघटनकारी ताकतों ने एक कमजोर सिद्धान्त के रूप में लिया है। धर्म और राजनीति का सम्बन्ध और तसके बीच होने वाली अन्तक्रियायें धर्म सापेक्षीकरण के नकारात्मक पक्षों के साथ सामने आती है और यही बाद में चलकर राष्ट्रीय एकता के लिए विघटनकारी शक्तियाँ बन जाती है जिसका निदान आवश्यक है।
- सच्चाई यह है कि आज हमारी संसदीय प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध रही है क्योंकि इस प्रणाली के रहते सीमावर्ती राज्यों में राजनीतिक महत्वाकाँक्षा को लेकर अलगाववादी भावना और भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धन और बल का असर साफ दिखायी दे रहा है। राजनीतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण सरकार को गिराना और बनाना राजनीतिज्ञों के लिए घूमन्तर जैसा खेल बन गया है। भविष्य के चुनावों में वोट बैंक पकड़ने की राजनीतिक आकाँक्षा और बलवती होगी जिसके परिणाम देशवासियों को भुगतने होंगे। अतएव ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सीमा पर आज छद्म युद्ध ने देश को अशान्त कर रखा है। बंगलादेश अलग हो जाने की पीड़ा से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है। इसलिए वह भारत के साथ इस तरह का युद्ध करता है जो खर्चीला कम और विनाशकारी अधिक है। अधिकाँश पाकिस्तानी राजनीतिक दल कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी भावनायें भड़काते है और यदि उनके नेता भाईचारे या समझौते की बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। कोई भी अन्दरूनी अशान्ति होने पर कश्मीर की रट लगनी शुरू हो जाती है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
- जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उसे अपने आतंकवादियों के राजनीतिक लक्ष्य को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। स्पष्ट और पारवर्शी होने के साथ ही साथ उनके प्रति हमारी नीति मूलभूत प्रश्नों से निपटने में भी कामयाय होनी चाहिए। हमारे सामने आतंकवादियों से निबटने के कई विकल्प होने चाहिए। पहले तो, उन्हें नियंत्रित करने, जेल में डालने से यदि कुछ लाभन हो तो बिना दया के उन पर हमला बोल देना चाहिए।
- सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए। बल प्रयोग अनिच्छापूर्वक उठाया गया अन्तिम कदम होता है किन्तु दूसरा कोई विकल्प न रह जाने पर उसी का सहारा लेना पड़ता है। आतंकवादियों को हीरो अथवा स्वतन्त्रता सेनानी का दर्जा हासिल होना नहीं चाहिए। वे आखिरकार अपराधी है और किसी प्रकार दया के पात्र नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी समस्था एजेंसियों की बहुलता है। आतंकवाद से निपटने में मुख्य बाधा इन एजेंसियों की बहुलता है। आतंकवाद से निपटने में मुख्य बाधा इन एजेंसियों में समन्वय का अभाव है। एक ओर तो सीधा समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, राज्य और विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के बीच, जैसे सेना, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इन्डो–तिब्बत सीमा रिज़र्व बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों, प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस, प्रदेश खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस तथा दूसरी ओर इन एजेंसियों के अध्यक्षों के अहम् को भी संभालना पड़ता है।
- हमारे देश में भी देखा जा रहा है कि किस तरह उग्रवादी हमारी जीवन शैली पर भी हावी होने की कोशिश करते हैं। क्या पोशाक होनी चाहिए, किसका बहिष्कार करना चाहिए, कौन सा कर नहीं देना चाहिए. कौन सी यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुछ जगहों में लोगों को अपने काम/व्यवसाय करने की आजादी की भी कीमत देनी पड़ती है और उसके लिए उग्रवादी उनसे वसूली करते हैं क्योंकि वे न तो किसी कानून का पालन करते हैं और न मानव अधिकारों की परवाह।

इधर सरकारी एजेंसियों को न केवल कानून के अनुसार चलना पड़ता है, उन्हें अदालत में किसी आतंकवादी के विरुद्ध दोषारोपण के लिए सबूत भी इकट्ठा करने पड़ते है। यह तो आशा करना ही व्यर्थ है कि लोग किसी दुर्दान्त उग्रवादी के खिलाफ गवाही देने कोर्ट तक जाने का साहस करेंगे। आतंकवादी और एजेंसियों के बीच यह बराबर का मुकाबला नहीं है। अपराधी हमेशा ही पहल कर सकता है और उसका पूरा लाभउठाता है। देश के सामने जो भी बाधाये हों. अपने उदार कानूनों की चपेट से उनको बचना होगा। इस प्रकार के विघटनकारी आन्दोलन और कार्यों को सख्ती से कुचलना आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा की नवीन अवधारणा यह इंगित करती है कि वही राष्ट्र आज जीवित रह सकता है जिसका सामाजिक बन्धन सुदृढ़ होगा। सामाजिक समरसता ही उक्त बन्धन का आधार है। इसी बन्धन को तोड़ने का प्रयास बाहरी ताकतों द्वारा सदैव किया जाता है, सामाजिक ताना–बाना जब सुदृढ़ होगा तभी अमुक राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा सम्बन्ध राष्ट्र के विकास से माना जा रहा है। एक राष्ट्र तभी विकास कर सकेगा जब उसमें रहने वाले लोगों के बीच

सामंजस्य बनेगा। आज दुनिया के जो भी राष्ट्र विकास की चरम सीमा पर पहुंचे हैं, उनके नागरिकों के मध्य आपसी दृढ़ सम्बन्ध अत्यधिक विखायी देता है।

जब राष्ट्र विकास की और उन्मुख होता है तो उसके पड़ोसी उससे प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं तथा उसके सामाजिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है जिसका परिणाम निकट भविष्य में दिखायी देने लगता है। ऐसे में जिस राष्ट्र का समाज कल तक स्थिरता की स्थिति में रहता है अब यह अस्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। आज भारतीय स्थिति भी लगभग ऐसी हो गयी है। बाहरी ताकतें हमारी सामाजिक स्थिरता को छिन्न–भिन्न कर देना चाहती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त सामाजिक स्थिरता सर्वोपरि होती है, अस्थिरता किसी भी समाज के लिए हानिकारक होती है। सामाजिक अस्थिरता के कुछ स्रोत होते हैं, जिसको बाहरी ताकतें बढ़ावा देती है। इनमें रुढ़िवादिता, साम्प्रदायिकता, प्रान्तीय एवं भाषायी संकीर्णता, मानवाधिकारों का मंचन, अल्पसंख्यकों का दमन, आर्थिक भेद्यता जैसे कारकों के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

मोदी सरकार के तहत भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में मजबूती व स्पष्टता आई है और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक बदलाव आया है। रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश, स्वदेशी उत्पादन में तेज वृद्धि, साहसिक सुधारों और उभरती प्रौद्योगिकियों के समावेश के साथ, भारत रक्षा उपकरणों के एक प्रमुख आयातक से हटकर एक उभरते वैश्विक निर्यातक के रूप में सामने आ रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रवैया, पाकिस्तान के मामले में नए मानदंडों की स्पष्ट अभिव्यक्ति और सुदर्शन चक्र मिशन जैसी भविष्योन्मुखी पहल एक दूरदर्शी सुरक्षा सिद्धांत को रेखांकित करती हैं।

साथ ही आंतरिक स्थिरता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकीय नवाचार में हुई प्रगति इस बात को दर्शाती है कि आत्मनिर्भरता केवल रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुदृढ और आत्मविश्वास से भरे एक ऐसे भारत की नींव रखती है, जो वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की अपनी राह में आने वाली पारंपरिक व गैर–पारंपरिक, दोनों किस्म की चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार है।

यह क्रांतिकारी बदलाव आने वाले वर्षों में देश को हर दृष्टि से विकसित भारत बनाने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि यह सरकार केवल बयानबाजी में ही विश्वास नहीं रखती, बल्कि उसने वास्तव में भारत को विकसित बनाने के लिए हर जरूरी काम किया है और कर रही है।

सन्दर्भ

1. अहिरवार, दिनेश (2019), भूमंडलीकरण के दौर में उदीयमान भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा – एक चुनौती, जर्नल ऑफ इमरजिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड इनोवेटिव रिसर्च, वर्ष 6, अंक 6, जून, पृष्ठ 881–892
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–2025, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. गुसाई, संतोष सिंह (2013), भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आन्तरिक खतरे, सरिता बुक हाऊस, दिल्ली
4. सिंह, लल्लनजी (2021), राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली
5. सिंह, अनिल कुमार (2016), भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विनायक पब्लिशिंग हाऊस, वाराणसी
6. सिंह, अशोक कुमार (2019), राष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते आयाम, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
7. पाण्डेय, आलोक कुमार (2016), भारत की सुरक्षा : राजनैतिक अस्थिरता की चुनौतियाँ एवं विकल्प, हिन्द बुक सेन्टर नई दिल्ली
8. सिंहा, अजय कुमार (2012), राष्ट्रीय सुरक्षा की परम्परागत एवं अपरम्परागत समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
9. श्रीवास्तव, दीप कुमार (2018), राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का अवलोकनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साइंस इन्वेंशन, वर्ष 7, अंक 9, सितम्बर, पृष्ठ 76–80
10. बाजपेयी रश्मि (2023), भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान की संभावनाएँ : एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, वर्ष 11, अंक 10, अक्टूबर, पृष्ठ 579–582
11. वर्मा, मदन कुमार (2019), भारत की परमाणु नीति समीक्षा, शोधशौर्यम् – इंटरनेशनल साइंटिफिक रेफर्ड रिसर्च जर्नल, वर्ष 3, अंक 5, जुलाई – अगस्त, पृष्ठ 83–93
12. भारत 2025, सन्दर्भ वार्षिकी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
13. www.mea.gov.in
14. www.pib.nic.in